नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2018

अधिसूचना संख्या सं. रा.आ.बैंक.आ.वि.कं.एटीसी.निदेश.2/एमडीएंडसीईओ/2018 - राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 30ए और 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं इस संबंध में सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक, इसे सार्वजनिक हित में आवश्यक समझकर और संतुष्ट होकर कि देश की आवास वित्त प्रणाली को लाभार्थ विनियमित करने में सशक्त होने के प्रयोजनार्थ ऐसा करना आवश्यक है, एतद् द्वारा निदेश करता है कि आवास वित्त कंपनियां – नियंत्रण के अभिग्रहण या हस्तांतरण की मंजूरी (राष्ट्रीय आवास बैंक) निदेश, 2016 तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा, यथा:

(i) अनुच्छेद 3 में संशोधन

आवास वित्त कंपनियां – नियंत्रण के अभिग्रहण या हस्तांतरण की मंजूरी (राष्ट्रीय आवास बैंक) निदेश, 2016 के अनुच्छेद 3 के खण्ड (i) का मद (ख) इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

(ख) सार्वजनिक जमाएं स्वीकार/ धारित करने वाली एक आ.वि.कं.की शेयरधारिता में कोई बदलाव, समय के साथ प्रगामी वृद्धि सहित, जिसके परिणामस्वरूप एक विदेशी निवेशक द्वारा/को आ.वि.कं. की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 10 प्रतिशत या ज्यादा का अभिग्रहण/ हस्तांतरण होगा

या

एक आ.वि.कं.की शेयरधारिता में कोई बदलाव, समय के साथ प्रगामी वृद्धि सहित, जिसके परिणामस्वरूप आ.वि.कं. की प्रदत्त इक्विटी पूंजी के 26 प्रतिशत या ज्यादा की शेयरधारिता का अभिग्रहण/ हस्तांतरण होगा।

बशर्ते कि, उस मामले में पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा जब कोई शेयरधारिता, पूंजी में कमी/शेयर की वापसी-खरीद के कारण 10 प्रतिशत से अधिक या 26 प्रतिशत हो, प्रयोज्य अनुसार, जहां उसके पास सक्षम न्यायालय का अनुमोदन हो। हालांकि, ऐसी घटना के घटित होने की तिथि से कम से कम एक महीने के भीतर राष्ट्रीय आवास बैंक को उक्त जानकारी से सूचित किया जाना आवश्यक है;

(ii) अनुच्छेद 5 में संशोधन

आवास वित्त कंपनियां – नियंत्रण के अभिग्रहण या हस्तांतरण की मंजूरी (राष्ट्रीय आवास बैंक) निदेश, 2016 के अनुच्छेद 5 में, आखिर में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा –

बशर्ते कि इस अनुच्छेद में निहित प्रावधान उस मामले में लागू नहीं होंगें जब सार्वजनिक जमाएं स्वीकार/ धारित करने वाली एक आ.वि.कं.की शेयरधारिता में कोई बदलाव, समय के साथ प्रगामी वृद्धि सहित, जिसके परिणामस्वरूप एक विदेशी निवेशक द्वारा/को आ.वि.कं. की प्रदत्त इक्विटी पूंजी का 10 प्रतिशत से ज्यादा और 26 प्रतिशत से कम का अभिग्रहण/ हस्तांतरण होगा।

श्रीराम कल्याणरामन

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी